न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 82/2024 G.C.M.S. No. 2024/378 दर्ज दिनांक : 12.09.2024

अपीलार्थी:

1. हरीराम पुत्र भटाराम, उम्र वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी मोकणी, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गटाराम पुत्र खंगाराराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
2. तगूदेवी पत्नि लच्छाराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
3. जगाराम पुत्र लच्छाराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
4. नोनजीराम पुत्र लच्छाराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
5. भीखाराम पुत्र लच्छाराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
6. लूंगोदेवी पुत्री लच्छाराम, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
7. गोकाराम पुत्र समीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
8. चूनीदेवी पत्नि गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
9. जवानाराम पुत्र धूका, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
10. दलाराम पुत्र भटिया, मेघवाल, निवासी मोकणी, तहसील सायला व जिला जालोर।
11. नेमाराम पुत्र समीया, जाति मेघवाल, निवासी उम्मेदाबाद, तहसील व जिला जालोर।
12. नोपाराम पुत्र हेमाराम, जाति मेघवाल, निवासी खरल, तहसील सायला व जिला जालोर।
13. पंकूदेवी पत्नि गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
14. पारसाराम पुत्र गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
15. भवाराम पुत्र समीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
16. मटाराम पुत्र गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
17. मनूदेवी पुत्री गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

18. सागराराम पुत्र गणीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
19. कान्तिलाल पुत्र जेपाराम, जाति मेघवाल, निवासी वीराणा, तहसील सायला व जिला जालोर।
20. मदीया पुत्र समीया, जाति मेघवाल, निवासी सायला, तहसील सायला व जिला जालोर।
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सायला।
22. जालोर भूमि विकास बैंक लि. शाखा सायला।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2024 बअनवान गटाराम वगैरह बनाम हरिराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री शंभूदान आशिया, श्री मानवेन्द्र राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रवीण सोलंकी, श्री सुरेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1, 9 व 15
3. शेष रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2024 बअनवान गटाराम वगैरह बनाम हरिराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट/वादीगण संख्या–01 से 06 ने सहायक कलक्टर सायला के न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इन कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया कि, रेस्पोंडेण्ट संख्या–01 तथा रेस्पोंडेण्ट / वादीगण संख्या–02 से 06 के पिता लछाराम ने सर्वत् 2046 में अपीलाण्ट हरीराम व उसके भाई जगतीया से सरहद मौजा सायला के चक संख्या–1 के खसरा नम्बर 849, 850, 905 से लगायत 908 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर भूमि में से हरीराम व जगतीया का हिस्सा उन्होंने मोल बिकते किमतन रूपये 1,41,000/– रूपये में इकरार कर 1,37,000/– रूपये इकरारनामा के समय दिये तथा शेष 4,000/–रूपये रजिस्ट्री करवाने से पूर्व देना तय किया। उक्त इकरारनामा के आधार पर रेस्पोडेण्ट / वादीगण संख्या–01 से 06 ने अपीलाण्ट / प्रतिवादी हरीराम के हिस्से की 1/3वाँ हिस्सा भूमि में से 1/8वाँ हिस्सा रेस्पोडेण्ट/वादी संख्या–01 तथा रेस्पोडेण्ट/वादीगण संख्या–02 से 06 का प्रत्येक का 1/40वाँ हिस्सा खातेदारी घोषित करने की मांग वाद के माध्यम से की। उक्त वाद–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के आधार पर रेस्पोडेण्ट/वादीगण संख्या–1 से 6 व रेस्पोडेण्ट / वादीगण संख्या–07 से 09 एवं 11 से 19 ने आपस में मिलावट कर अपीलाण्ट की उक्त खातेदारी भूमि 1/3वाँ हिस्सा में से 1/8वाँ हिस्सा रेस्पोडेण्ट/वादी संख्या–1 गटाराम को 1/8 व लछीया के वारिसान रेस्पोडेण्ट/वादीगण संख्या–02 से 06 प्रत्येक का 1/40 वाँ हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में न केवल तथ्यों की भूल की है, बल्कि विधि के मूलभूत सिद्धांतों के विपरित पारित किया गया है। वादीगण संख्या–01 से 06 ने अपने सम्पूर्ण वाद–पत्र में एक साधारण कागज पर लिखे हुए लिखत के आधार पर खातेदारी घोषणा की मांग की थीं, जिसे माननीय सहायक कलेक्टर सायला ने विधिविरूद्ध जाते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को बिना किसी विधिक आधार के रेस्पोडेण्ट/वादीगण संख्या–01 से 06 की खातेदारी घोषित कर दी। अपीलाण्ट व जगतीया ने कोई इकरारनामा कभी–भी वादी गटाराम व वादीगण संख्या–02 से 06 के पिता लछाराम के पक्ष में नहीं लिखा तथा कथित इकरारनामा पर इनके अंगुष्ठ निशान नहीं हैं। इकरारनामा फर्जी है। कथित इकरारनामा संवत् 2046 का लिखा हुआ बताया जा रहा है, जो पर्याप्त स्टाम्प पर मुद्रांकित नहीं हैं और न ही पंजीबद्ध है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 7.0600 हैक्टेर वादीगण द्वारा पुश्तैनी व खरीदसुदा बताई जा रही है, जिसमें अपीलाण्ट का 1/3वाँ हिस्सा व कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज है। संयुक्त खाते की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत मानकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरित जाकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित की हैं। संवत् 2046 में लिखित कथित इकरारनामा का पक्षकार लछाराम जिसकी मृत्यु भी हो चुकी हैं, उसने अपने जीवनकाल में उक्त कथित इकरारनामा की पालना करवाने हेतु कभी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। इकरारनामा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी हक स्वतः प्राप्त नहीं होता है। इकरारनामा की पालना कानूनन स्पेशिफिक परफॉर्मेंस का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर कोई अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी लिए तीन वर्ष की म्याद कानून में निर्धारित है। उक्त संवत् 2046 में लिखित इकरारनाम मात्र रद्दी का कागज है, जिस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में न्यायिक रूप से संभव नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति के विपरित जाकर साधारण कागज पर 34 वर्ष पूर्व लिखित बताये जा रहे लिखत के आधार पर संयुक्त खातेदारी भूमि में एडवर्ड पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषित कर दी है। इसके साथ राजस्व न्यायालय को इकरारनामे पर कोई भी कानूनी कार्यवाही करना उनके क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। इकरारनामे की पालना करवाने या इकरारनामे पर कोई अनुतोष प्राप्त करने हेतु पक्षकारों को तीन वर्ष के भीतर सिविल

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय में चाराजोही करनी होती है। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में कथित इकरारनामे पर रेस्पोडेण्ट/वादीगण संख्या–01 से लगायत 06 ने कोई कार्यवाही सिविल न्यायालय में 34 साल तक कभी नहीं की। माननीय सहायक कलेक्टर सायला ने क्षेत्राधिकार विहिन जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 व 10 द्वारा राजीनामा एवं इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का समर्थन किया गया एवं दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद वादपत्र में साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16, 18 एवं 19 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि यदि प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है। जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं।
4. वादपत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा बिजली बिलों की प्रतियां, अपंजीकृत लिखत, लगान रसीदें एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 10 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व इकबालिया जवाबदावा तथा पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपंजीकृत इकरारनामा से क्रय करने एवं लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से मौके पर काबिज काश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में हालांकि वादपत्र वादीगण द्वारा साक्ष्य से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बखूबी साबित नहीं किया है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वस्तुतः साक्ष्य समायत ही नहीं की गई। साथ ही प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के साथ–साथ अधिनियम की धारा 183, 63 एवं अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विहित एवं निर्धारित परिसीमा अवधि विशेषकर धारा 183 एवं 63 के लिए विहित परिसीमा अवधि जोकि प्रकरण में सारवान रूप से महत्वपूर्ण है, के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो कोई अभिमत प्रकट किया गया है एवं न ही इस संबंध में वादपत्र में कोई साक्ष्य आदि समायत की गई। अतः ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में जब तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को जवाबदावा एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में समुचित विवेचन उपरांत निर्णयन नहीं कर दिया जाता तब तक प्रकरण वस्तुतः सारवान रूप से अनिर्णयन की स्थिति में माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (4) के प्रावधानानुसार यदि खातेदार काश्तकार को आधिपत्य (कब्जा) से वंचित कर दिया गया हों एवं आधिपत्य पुनः लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गया हों, ऐसी स्थिति में ऐसे खातेदार काश्तकार के काश्तकारी अधिकारों का अवसान हो जाता है। कृषि आराजी का आधिपत्य/कब्जा पुनः प्राप्त करने एवं अतिक्रमी को बेदखल करवाने के लिए अधिनियम की धारा 183 के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23 में विहित विधिक प्रावधानानुसार परिसीमा अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान सारवान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं तथा साक्ष्य से इनकी समुचित विवेचना व निर्णयन के अभाव में समुचित विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना व वस्तुतः विधिविरूद्ध बेदखली एवं भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर अंतरण आदि संक्रियाएं घटित होने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा ऐसी स्थिति में प्रकरण में अनावश्यक जटिलता व विवाद उत्पन्न होना संभावित है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णयन तक वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख व मौके की स्थिति को संरक्षित रखा जाना भी आवश्यक है।

5. अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ एवं उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजीयात की भू–अभिलेखीय व मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने हेतु पाबंद करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2024 बअनवान गटाराम वगैरह बनाम हरिराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में दीगर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा एवं प्रतिदावा यदि हों, के आधार पर विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के साथ–साथ धारा 63 (4) एवं 183 एवं अधिनियम की तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 23 में विशेष रूप से प्रावधित आज्ञापक प्रावधानों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन व कारण सहित विनिश्चय के साथ आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आसजीयात की भू–अभिलेखीय व मौकास्थिति में परिवर्तन नहीं करें तथा रहन, बेचान या अन्य किसी विधि से अंतरण या भारित नहीं करें एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखली आदि की कार्यवाही अमल में नहीं लावें। उपस्थित उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सायला में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली